न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक आर०ए०एस०

अपील संख्या :- **34/2019**

अपीलान्ट :-

1. नारायण राम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी गिरधारीपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :-

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडनूं।

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री हरदीनराम जाखड अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील विरूद्ध निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 06/2018 दिनांक 11.04.2019 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का ध्यावा बनाम नारायण राम पुत्र हुकमाराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार लाडनूं अन्तर्गत धारा 91 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-**16.08.2021**

{1} यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण संख्या 06/2018 बअनवान सरकार जरिये पटवारी हल्का ध्यावा बनाम नारायण राम पुत्र हुकमाराम में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ध्यावा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नंबर 15 रकबा 0–02 बीघा भूमि किस्म गै०मु० चारागाह पर पक्का बाडा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा गिरधारीपुरा के खसरा नंबर खसरा नंबर 15 रकबा 0–02 बीघा भूमि किस्म गै०मु० चारागाह पर पक्का बाडा बनाकर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अत: अपीलान्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा गिरधारीपुरा के खसरा नंबर 15 रकबा 0–02 बीघा भूमि किस्म गै०मु० चारागाह से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 02/– अक्षरे दो रूपये कायम किया गया।

{3} वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि :-

{3} 1. यह है कि निर्णय जैर अपील तहसीलदार लाडनूं कानूनन, वाक्यितन एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तों तथा विधि के प्रावधान के विरूद्ध होने से सही नहीं है एवं निरस्त किया जाने योग्य है।

{3} 2. यह है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 30.05.2018 को तहसीलदार लाडनूं को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि खसरा नंबर 15 गै० मुमकिन चारागाह का सीमाज्ञान करवाया जावें , ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि उक्त खसरा पर किसने अतिक्रमण किया है, जिस पर तहसीलदार लाडनूं ने भू-अभिलेख निरीक्षक से केवल मौका जांच करने का ही आदेश किया गया तथा सीमाज्ञान नही करवाया गया , जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{3} 3. यह है कि भू-अभिलेख निरीक्षक सारडी ने दिनांक 11.04.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की वह सही नहीं है। भू-अभिलेख निरीक्षक सारडी ने मौका रिपोर्ट में लिखा है कि " खसरा नंबर 15 की सीमा का नाप कर देखा तो पाया गया कि अप्रार्थी खसरा नंबर 15 गैर मुमकिन गौचर में अतिक्रमण है "जबकि भू-अभिलेख निरीक्षक ने सीमाज्ञान नाप की कोई रिपोर्ट पेश नही की है जिससे यह नही कहा जा सकता है कि सीमा का नाप किया किया गया है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

{3} 4. यह है कि खसरा नंबर 15 के एक तरफ आबाद भूमि है तथा तीन तरफ काश्तकारों की भूमि है। खसरा नंबर 15 के चारों भुजाओं का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

क्या-क्या नाप है, मौके पर खसरा नंबर 15 की कितनी भूमि है तथा कितनी भूमि कम है एवं किस दिशा की भुजा कम पड रही है तथा अतिक्रमी की भूमि मौके पर कितनी कम या ज्यादा है बिना सीमाज्ञान के नहीं कहा जा सकता हे कि किसने अतिक्रमण किया है तथा हल्का पटवारी ने 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है तो बिना नाप के किस आधार पर 02 बिस्वा पर अतिक्रमण करना बताया है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

{3} 5. यह है कि अदालत मातहत ने अप्रार्थी को जवाब का अवसर नहीं दिया हैं । अप्रार्थी का जवाब लिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है , जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

{3} 6. यह है कि हल्का पटवारी ध्यावा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक नें अदालत में साक्ष्य में पेश नही हुये है, जिस कारण अप्रार्थी को अपना पक्ष साबित करने के लिए जिरह का अवसर नही मिला है तथा अप्रार्थी का अपनी साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नही दिया गया है जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

{3} 7. यह है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी का बाडा, मकान व होद ग्राम गिरधारीपुरा की आबादी भूमि में बना हुआ है जिसके पक्की चार दिवारी बनी हुई है। अप्रार्थी/अपीलार्थी की उक्त जायगा करीब 0.06 बीघा जमीन है, जिसमें करीब 60–70 वर्ष पुराना होद, मकान व बाडा बना हुआ है। अप्रार्थी/अपीलार्थी ने खसरा नंबर 15 की सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गावं के चन्द लोगों की द्वेशतावश की गई झूठी शिकायत पर गलत रिपोर्ट पेश की है।

{3} 8. यह है कि अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधान की पालना नहीं की है तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है अदालत मातहत का निर्णय कानूनी प्रावधान के विपरित होने से निरस्त किया जाने योग्य है।

{4} – उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.06.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 11.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व / 2021/661 दिनांक 12.03.2021 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक 11.04.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सख्यां 06/2018 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी०पी०सी० की प्रमाणित प्रतिलिपि, भू०अभिलेख निरीक्षक सारडी की मौका रिपोर्ट की प्रमाणित पेश की है।

{5} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2019 को हुआ है । प्रार्थी को इस निर्णय की जानकारी 04.06.2019 को नकले प्राप्त करने से हुई हैं । प्रार्थी ने आगे निवेदन किया है कि अपील में हुयी देरी माफ योग्य हैं जिससे अवधि दिनांक 11.04.2019 से 04.06.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलार्थी को जानकारी का अभाव होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी पर, सहानूभूतिपूर्वक विचार किया जाकर अवधि दिनांक 11.04.2019 से 04.06.2019 तक की समयावधि को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{6} – बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 15 गैर मुमकिन चारागाह का सीमाज्ञान करवाये बिना ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट को जवाब का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनन,वाक्यितन एव विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित होने से निर्णय किये जाने योग्य होने से निरस्त फरमावे।

{7} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का ध्यावा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक सारडी की रिपोर्ट जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नंबर 15 रकबा 0.02 बीघा भूमि किस्म गै०मु० चारागाह पर पक्का बाडा बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

है कि दिनांक 14.03.2018 को अपीलांट/अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा उनकी और से वकील श्री गुलशेर खान ने वकालत नामा भी पेश किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 30.05.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी०पी०सी० वास्ते सीमाज्ञान भी पेश किया है।

सीमाज्ञान की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 को भू अभिलेख निरीक्षक सारडी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें यह अंकित है कि पटवारी हल्का ध्यावा के साथ मौका देखा गया लेकिन भू अभिलेख निरीक्षक सारडी द्वारा पेश रिपोर्ट पर पटवार हल्का ध्यावा के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही इस बाबत कोई मौका फर्द ही बनायी गयी है। तैयार की गयी मौका रिपोर्ट भी अस्पष्ट है जिसमें किस बिन्दु से किस किस खसरे का माप किया गया एव उसकी माप का अंकन आदि भी रिपोर्ट में कही अंकित नही है । रिपोर्ट सरसरी तौर पर बिना मौके पर जाए ही बनायी गयी प्रतीत होती है क्योंकि इस पर न तो अपीलांट के हस्ताक्षर हैं एव न ही पटवारी हल्का ध्यावा के हस्ताक्षर है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 06/2018 सरकार बनाम नारायण राम में अपीलान्ट अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के अभाव में तथा मौका फर्द अस्पष्ट होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.4.2019 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की जाती है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर एक माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.09.2021 को पेश हो।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)